

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -186

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02052

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आनंद भूमि फेस-2", प्रमोटर-शन्नो बिजनेस इंडिया प्रा. लि., द्वारा-श्री अनूप अग्रवाल, पता-402, राजीव गांधी कॉम्पलेक्स, बाल आश्रम कम्पाउण्ड, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" आनंद भूमि फेस-2" लाभांडी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
19/01/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "आनंद भूमि फेस-2" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA251120001165 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 25.11.2020 से पंजीकृत किया गया है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2)(1)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोर्टर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-06/रेरा/2018/158, दिनांक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2023 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 01.12.2023 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार सितम्बर, 2023 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया। अनावेदक द्वारा स्वीकार किया गया कि वित्तीय अनियमिततायें व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन उनके द्वारा हुआ था, जिसे ठीक कर लिया गया है।</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -186

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02052

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आनंद भूमि फेस-2", प्रमोटर-शन्नो बिजनेस इंडिया प्रा. लि., द्वारा-श्री अनूप अग्रवाल, पता-402, राजीव गांधी कॉम्पलेक्स, बाल आश्रम कम्पाउण्ड, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" आनंद भूमि फेस-2" लाभांडी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उक्त उल्लंघन साश्रय जान-बूझकर नहीं किया गया, किन्तु अज्ञानतावश हुआ है। चूँकि त्रुटियों को ठीक कर लिया गया है, इसलिये उन्हें कारण बताओं नोटिस से उन्मोचित किया जाए एवं शास्ति अधिरोपित नहीं कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए। इस प्रकार अनावेदक द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4(2)(1)(D) का उल्लंघन किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि अनावेदक द्वारा वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अनावेदक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों के विपरीत प्रोजेक्ट के रेरा विनिर्दिष्ट खाते का संचालन किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत आबंटितियों के हितों का संरक्षण व रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का निर्धारित समयावधि में विकास सुनिश्चित कराना प्राधिकरण का प्रमुख दायित्व है। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है। चूँकि अनावेदक का उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4(2)(1)(D) का उल्लंघन है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन हेतु क्रमशः अधिनियम की धारा-60 व 61 में शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्त शास्ति की राशि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक हो सकती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा धारा-60 एवं 61 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अनावेदक पर धारा-63 अंतर्गत रूपये 5,000/- की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। अतः अनावेदक को अधिनियम के प्रावधानों का भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक -186

प्रकरण क्रमांक-M-COM-2023-02052

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "आनंद भूमि फेस-2", प्रमोटर-शन्नो बिजनेस इंडिया प्रा.  
लि., द्वारा-श्री अनूप अग्रवाल, पता-402, राजीव गांधी कॉम्पलेक्स, बाल आश्रम  
कम्पाउण्ड, कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" आनंद भूमि फेस-2" लाभांडी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण शास्ति जमा करने के उपरांत नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p>	